

सेवा में,

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़ ।

सेवा में,

प्रमुख
न्यू हेमिन्ग्वेन ग्राहमिड स्कूल फुलपुर
आजमगढ़ ।

संक्रियण संख्या: 5586-26 / 2003-04 दिनांक 29-11-03

विषय:- विद्यालय की आइसरी पाठशाळा की अस्थापी मान्यता प्रदान करने के संबंध में ।

संदर्भ:-

उपरोक्त विद्यालय आपके विद्यालय के मान्यता आवेदन-एच नर स्कूल वैसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षण/उप वैसिक शिक्षा अधिकारी/ शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र आजमगढ़ की बरि प्रकषण एवं संस्तुति के आधार पर जिला मान्यता समिति के विचारोपरान्त आपके विद्यालय को कक्षा/लेवलाड एक ग्राइसरी स्तर की अस्थापी मान्यता-2003-04 के निम्नांकित शर्तिकांशों के साथ प्रदान की जाती है। विद्यालय की अस्थापी मान्यता एक एक कक्षा लेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तों पूर्ण करते स्थायी मान्यता प्राप्त नहीं कर लिया जाता। यदि शर्तिकांश में आप स्वयं प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजों में बरि करने पर किसी शर्तों में या शर्तिकांशों में त्रुटि/धमी/अस्पष्टता पाई जाती है अथवा निम्न शर्तिकांशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो प्रस्तुत अस्थापी मान्यता समाप्त पर की जाएगी। किले निर आप शर्तिकांश उत्तरदायी होंगे ।

- 1- अस्थापी मान्यता का स्वीकृतिकरण करावे करने की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु बरि एवं में अस्थापी मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा, तथा स्थायी मान्यता हेतु निर्धारित शर्तिकांशों को इन शर्तिकांशों में पूरा करना आवश्यक/अनिवार्य होगा।
- 2- विद्यालय में सभी अक्षांश सुशिक्षित हो तथा भाषा के अनुकूल हो।
- 3- विद्यालय निर्धारित क्षेत्रफल हो तथा उसका कम-2 पर सुवीनियमित हो।
- 4- विद्यालय में, लड़कियों के लिए 1000/- एवं आराम सौंठ में 500-2500/- बना हो, जो जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ के पत्रनाम में पंजी है।
- 5- विद्यालय के पास आधा एकड़ भूमि हो, जो विद्यालय के नाम में हो।
- 6- विद्यालय के दरवाजा के विनाश में सभी शर्तिकांश वैसिक उपकरण प्रदान हो तथा भूमि विद्यालय के लगे हो तथा प्रकषण-एक विद्यालय के पति हो ।
- 7- विद्यालय के आगे हो हेतु 2000 मीटर भूमि हो जो विद्यालय के नाम में हो।
- 8- विद्यालय के विभाग द्वारा निर्धारित इन्फ्रि विद्यालय नाम तथा विद्यालय को किसी प्रकार की शर्तिकांश, अथवा शर्तिकांश नहीं हो जाएगी।
- 9- विद्यालय में विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग किया जाय तथा विभाग द्वारा कम-अपर निर्मित अथवा/निर्देशों का पालन किया जाय।
- 10- विद्यालय स्थापित करने हेतु उपर्युक्त विस्तारित उपकरण हो। विद्यालय में सभी शर्तिकांशों के निर पहले अज्ञान ईतराये जाय।
- 11- विभाग द्वारा मान्य वेतनम प्रस्तावों को दिया जाय।

आजमगढ़,
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़ ।

सुपरीक्षा/प्रतिनिधि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सुनवाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
1- उप वैसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ ।
2- जिला स्थायी अस्थापी अधिकारी, आजमगढ़ ।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़ ।